

106 / 2023

तारीखरजू:- 11.12.23

उनवान:- जगदीश बनाम जानकी वल्लभ वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

प्रार्थी की ओर से श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 05.01.24 को पेश हो।

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

8479-81
11.12.23

8 24

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से काय स्थगन

रख गये है। पीठासन अधिकारी... को पेश हो

गतानुसार विचार... को पेश हो

(सुनीता मीना)

8 24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित।
अप्रार्थी नं 1, 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा
एडवो ने भी पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे।
एवं अप्रार्थी नं 3 केरकार सरकार उपस्थित।
वास्ते वकालतनामा एवं जबाब पेश करने दिनांक
6.2.24 को पेश हो

(सुनीता मीना)

6 24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित।
अप्रार्थी नं 1, 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा
एडवो ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली
रहे। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 22.2.24 को
पेश हो

(सुनीता मीना)



दिनांक

फर्द अहकाम

22/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उपपत्रकारान उप। अप्राणी वकील ने जबाब पेश करने के लिए समय चाहा। समय दिया गया। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 21.3.24 को पेश हो

(5)

21-3-24

वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पी.डी.ओ. अधिकारी... फादाशुभा... वाडी... पत्रावली...
पत्रावली पत्रानुसार दिनांक... 9-5-24
को पेश हो।

9-5-24

पत्रावली पेश हुई। प्राणी उप प्राणी वकील
कोई उपपत्र नही हुआ। बार-बार भाषा
दिली गई इसके उपरान्त भी कोई उपपत्र
नही। इसलिए प्राणी का प्राणीना फल
कारवाही निषेधाज्ञा अडम पेशी अडम
इअरी में खारेज किया जाता है। पत्रावली
फेदालशुभा डोक नम्बर से कम कर
डाकिल डपर है

(3)